न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढं राज.
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या ::— 98/2015

1— राजकुमार पिता भंवरलाल जाति सोनी निवासी नन्दवाई हा.मु.भीलवाडा
2— अरविन्द कुमार पिता भंवरलाल जाति सोनी निवासी नंदवाई हा.मु.भीलवाडा
3— नवलकिशोर पिता भंवरलाल जाति सोनी निवासी नंदवाई हाल मुकाम भीलवाडा
4— विकास चन्द्र पिता भंवरलाल जाति सोनी निवासी नन्दवाई हाल मुकाम भीलवाडा
5— बिन्दुकुमारी पुत्री भंवरलाल जाति सोनी निवासी नंदवाई हा.मु. पति महावीर सोनी निवासी नन्दराय तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
6— किरण कुमारी पुत्री भंवरलाल जाति सोनी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
7— लालीबाई उर्फ लीलाबाई पत्नी भंवरलाल जाति सोनी निवारसी नंदवाई

प्रार्थीगण

बनाम

1— राधेश्याम पिता कालुराम जी जाति ब्राम्हण निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
2— प्रकाशचन्द्र पिता रतनलाल जाति महाजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित ::— श्री गोपाल लाल गुरूजी
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री सिद्धान्त बिल्लू
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांक :— 13.05.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया गया कि उक्त अनवान का वाद पत्र आपके न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसके मुकद्मा नम्बर 29/2013 होकर तारीख पेशी 15.06.2015 है। वाद पत्र के निस्तारण में समय लगेगा इसलिए विपक्षीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है।

यह कि ग्राम मंडावरी तहसील बेगूँ के गत भू प्रबन्ध के आराजी संख्या 47/1 रकबा 15 बीघा वादी प्रार्थीगण के दादा जी स्व. केसरीमल पिता बरदीचन्द्र जी सोनी के नाम से दर्ज रेकार्ड है और इसी रेकार्ड अनुसार काबिज होकर मौके पर काश्तक कर रहे है।

यह कि वादग्रस्त आराजी की वर्तमान आराजी संख्या 96मी. है वादी प्रार्थीगण के दादाजी केसरीमल सोनी ने विपक्षीगण संख्या एक को आराजी संख्या 47/1 मे से 6 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 2 को रकबा 6 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय से हस्तान्तरित की है।

यह कि गत बन्दोबस्त आराजी संख्या 47/1 रकबा 15 बीघा भू माप बढ कर वर्तमान रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा बनता है तथा 6—6 बीघा विपक्षीगण को बेचने के बाद वर्तमान रकबा 6—6 बीघा का 15 बीघा 10 बिस्वा जमीन के बाद शेष रही विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा काश्त हैं।

यह कि वर्तमान आराजी संख्या 96 मे वादी प्रार्थीगण के पूर्वजो का चबुतरा बना हुआ है जहां पर वादी प्रार्थीगण के कुल देवता होने व पारिवारिक कार्य समय समय पर वर्षो से होते आ रहे है एवं पूर्व एवं आशलेबी होती आ रही है परन्तु विपक्षीगण बेचान किये गये रकबे से ज्यादा रकबा को छीनना चाहते है इसलिए जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद फरमाया जावे कि विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को विकय की गई भूमि के अतिरिक्त भूमि पर किसी प्रकार का मदाखलत बेचा नहीं स्वयं करें न बने हुए पूर्वजो के चबुतरो का विपक्षीगण गिराये। इस हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा

जारी फरमाया जावें। क्यो कि विपक्षीगण कहते फिरते है कि चबुतरा तोड देगें । जमीन को हाम डालेगे इसलिए उक्त घटना दिनांक 25.05.2015 की है।

यह कि प्रार्थीगण के दादाबा ने विक्रय की गई जमीन के अतिरिक्त बची जमीन विपक्षीगण न तो स्वयं न अपने नौकर ऐजेन्ट आदि से मदाखलत करें न अन्य से करावें इसलिए आराज ीसंख्या 47/1 का नवीन नम्बर 96 का बढा हुआ रकबा 15 बीधा 10 बिस्वा विपक्षीगण का का है इसके अलावा शेष रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर बने हुए चबूरा व काश्त की जमीन पर अतिरिक्त न ही करें एवं प्राईमाफेसी केस प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित हैं।

प्रार्थीगण के कुल देवता का चबूतरा जो वर्षो से बना हुआ है एवं प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज कुल देवता की पूजा प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें न जमीन जैर बहस पर अतिक्रमण करें और अगर इनके द्वारा की तो प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी एवं फिजुल के मुकदृमा आजी होगी इससे विपक्षीगण को कोई नुकसान नहीं होगा। यह कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थीगण की शेष बची हजमीन में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें न पूर्वजो के चबूतरा को नुकसान पहूचावे व नही प्रार्थीगण की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहूचाये इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जाकर विरूद्ध विपक्षगण संख्या एक से दो को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थीगण के शेष बची आराजी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न तो करें या अन्य किसी नौकर ,ऐजेन्ट आदि से करावें एवं कुल देवता के पूर्वजो के बने हुए चबुतरों को न तो नुकसान पहुंचावे एवं न ही अन्य किसी के द्वारा नुकसान पहुचावें इस हेतु इनको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धान्त बिल्लू ने अपना अधिकार पत्र मूल वाद मे प्रस्तुत कर इस प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण का वाद पूर्व में खारिज हो चुका है तथा वर्तमान वाद पर रेसजूडीकेटा लगता है जब वाद ही चलने योग्य नही तो प्राइमाफेसी केस कैसे माना जा सकता है। केसरीमल जी राजकुमार के दादा बा ये उन्होने अदालत हाजा में वाद प्रस्तुत किया जिसके नम्बर 78/77 थे जो कोर्ट रावतभाटा में हस्तांतरण हुआ जहा उसके नम्बर 25/81 थे जो दिनांक 07.074.1984 को अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 जा.दी. में खारिज हो चुका है तथा वाद को रिस्टोर करने की 30 दिन की अवधि थी किनतु वादी ने यह कार्यवाही नहीं की वाद धारा 183 राज0टी0 एक्ट का था। विवादित जमीन जब वादीगण के कब्जे की नहीं आई तो वह धारा 88–188 राज0टी0एक्ट में वाद लाने का अधिकारी ही नहीं है। मौके पर वादीगण का कब्जा ही नहीं है और जब कब्जा ही नहीं है तो स्थायी निषेधाज्ञा का और न अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चल सकता है। वादीगण का वाद खारिज होगा।

हमारा 12 बीघा का 15 बीघा 14 बिस्वा वर्तमान भू माप से बनता है तथा विादग्रस्त भूमि हमारे कब्जे काश्त मे है जब तक कानूनन हम बेदखल नहीं हो जाते वादी का किसी तरह का वाद लाने का अधिकार नहीं है। वहॉ कोई चबूतरा बना हुआ नहीं है। मौके पर न तो कोई देवता है और ना ही प्रार्थीगण कभी विवादित जमीन पर आये है, जब कब्जा ही नहीं है तो वाद चलने योग्य नहीं है।

विवादित जमीन किस दिशा में स्थित है न तो पाडोस दर्ज है और न ही कोई विवादित भूमि की पहचान बाबत स्पष्ट रेखांकन है। ऐसी सूरत में अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती हैं। जबाव प्रार्थना पत्र के विशेष कथन में लिखा गया है कि प्रार्थीगण ने पूर्व में भी इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया जिसके प्रकरण संख्या 22/2005 थे तथा जिसका आदेश दिनांक 27.10.2005 को हो गया जिसमें विपक्षीगण द्वारा दिये जवाब का सभी दृष्टिकोण से विवेचन करते हुए खारिज कर दिया गया । अब प्रार्थीगण पुनः इस विवाद को उठाने के अधिकारी नहीं रहे है, इस पर भी रेसज्यूडीकेटा लागू होता है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुए हमे विशेष हर्जा खर्चा दिलाया जावे फैसल की प्रमाणित प्रति हमारे पास है तथा उसकी छायाप्रति संलग्न है। हमारे पास एक ही प्रति शेष है तथा प्रार्थीग्ण बार बार हमे परेशान करने के लिए झूठके मनगढंत बाते लिख कर वाद व प्रार्थना पत्र देते रहते है।

प्रार्थना पत्र में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र के अनुसार ही निवेदन करते हुए कहा कि जो भूमि विपक्षीगण को विक्रय की गई है उसमें से शेष भूमि जो हमारे कब्जे काश्त में है के लिए हमारे द्वारा वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके निस्तारण में समय लगेगा , वादग्रस्त भूमि पर हम प्रार्थीगण का पूजा अर्चना हेतु एक धार्मिक चबूतरा बनाया हुआ है जिस पर हम सभी परिवार वाले हमारे कुलदेवता की पूजा अर्चना समय समय पर करते आ रहे है, विपक्षीगण हमारी भूमि पर जबरन अतिक्रमण करना व हमारी भूमि को हमसे छीनना चाहते है। यदि विपक्षीगण द्वारा ऐसा किया गया तो हम प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा बनाये गये कुलदेवता के चबूतरें की पूजा अर्चना से हम महरूम रह जावेगे इसलिए इन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

बहस में अधिवक्ता विपक्षगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही बहस करते हुए निवेदन किया कि पूर्व में इनके द्वारा वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है, पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है, प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, ना ही प्रार्थीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया, अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु तीन सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं आर्थिक क्षति पर निस्तारण किया जाना ही न्यायसंगत होता है, जिनका निस्तारण दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला ::–

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज छायाचित्र नकल जमाबंदीयात एवं इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट में दिये गये आदेश की छायाप्रति का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, नकल जमाबंदी मौजा मण्डावरी सं. 2044 से 2047 में आराजी संख्या 95 व 96मी. किता–2 कुल रकबा 2.540 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री केशरीमल पिता बरचन्द्र सुनार सा. नन्दवाई दर्ज अंकित है। इसी प्रकार उक्त आराजीयात के नवीन आराजी नम्बरान 47/1 रकबा 15 बीघा भूमि के खातेदार भी श्री केशरीमल सुनार ही दर्ज अंकित है। नकल जमाबंदी के अवालोकन से पाया कि गत आराजी संख्या 96मी रकबा 1.214 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री प्रकाशचन्द्र पिता रतनलाल महाजन दर्ज अंकित है। इस प्रकार गत आराजी संख्या 96मी. रकबा 1.214 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री राधेश्याम पिता कालूराम ब्राम्हण के नाम दर्ज अंकित है। नकल आदेश प्रार्थना संख्या 22/2005 व अनवान राजकुमार बनाम राधेश्याम प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आर.टी.एक्ट में इस न्यायालय दिये गये आदेश दिनांक 27.10.2005 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया ,इस प्रार्थना पत्र के निर्णय में भी आराजी व पक्षकार वगै. एक ही है, हम अधिवक्ता विपक्षीगण के कथन से सहमत है कि एक ही आराजी को लेकर एवं एक ही पक्षकारान को लेकर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। किन्तु प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा उनकी कुलदेवी के लिए बनाए पूजार्थ चबूतरे पर पूजा अर्चना के लिए विपक्षीगण द्वारा रोका जाना हमे न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा इस तथ्य को लेकर ही वाद किया गया है कि गत सेटलमेन्ट में उनके दादा जी के नाम पर 15 बीघा भूमि थी जो सेटलमेन्ट के बाद जरीब छोटी होने से रकबा 19 बीघा हो गया जबकि विपक्षीगण को उनके दादा जी द्वारा केवल 12 बीघा भूमि ही विक्रय की गई थी, शेष भूमि प्रार्थीगण अपना अधिकार एवं कब्जा बताते है, हालॉकि यह सभी तथ्य मूल वाद पत्र में साक्ष्य

सबूत लिये जाने के पश्चात ही तय हो पायेगें, जिसमें निश्चित समय लगने की संभवाना है ऐसी स्थिती में प्रार्थीगण को उनकी कूलदेवी हेतु पूर्वजो द्वारा बनाये गये चबूतरे पर पूजा अर्चना करने से विपक्षीगण नहीं रोके इस हेतु उन्हें पाबंद किया जाना हम न्यायसंगत समझते है। इसी आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया प्रकरण आंशिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2–सुविधा का सन्तुलन ::–

प्रार्थना पत्र वर्णित नवीन आराजी संख्या 47/1 रकबा 15 बीघा भूमि सेटलमेन्ट बाद जो दर्ज की गई वह 19बीघा होने का कथन प्रार्थीगण करते है, क्या नियमानुसार भूमि 15बीघा के बजाय 19बीघा होनी चाहिए तथा शेष बची हुई भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होकर काश्त कर रहे है या भूमि विपक्षीगण के पास ही है, यह सभी तथ्य मूलवाद में निस्तारित होने है, लेकिन वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा बनाये गये कुलदेवी के चबूतरे पर जहॉ तक पूजा अर्चना किये जाने का प्रश्न है यदि विपक्षीगण द्वारा उक्त भूमि प्रार्थीगण को नहीं जाने दिया जाता है या पूजा करने से रोका जाता है तो निश्चित ही प्रार्थीगण की धार्मिक भावानाओं को ठेस पहुॅचेगी। इस प्रकार केवल वादग्रस्त भूमि में बने हुए चबूतरे पर पूजा अर्चना किये जाने को लेकर सुविधा का संतुलन आंशिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3– आर्थिक क्षति :–

प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि विपक्षीगण के खातेदारी में होने से एवं भूमि पर प्रार्थीगण की पूजा हेतु बने कुलदेवी के चबूतरे वाली भूमि को यदि विपक्षीगण द्वारा विक्रय कर दिया जाता है या प्रार्थीगण को कुलदेवी के चबूतरे पर पूजा करने से रोका जाता है तो निश्चित ही प्रार्थीगण को आर्थिक क्षति होगी एवं उनकी धार्मिक भावानाओं पर ठेस पहुॅचेगी, इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

इस प्रकार विवादित भूमि में बचे हुए रकबे को प्रार्थीगण अपने खाते करा पाने के अधिकारी होगें अथवा नहीं? यह सभी तथ्य वादपत्र में निर्णित किये जाने है लेकिन विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा बनाये गये कुलदेवी के चबूतरे पर प्रार्थीगण को पूजा अर्चना करने से विपक्षीगण नहीं रोक पावें इस हेतु हम विपक्षीगण को मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक पाबंद किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनिरयम का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, विपक्षीगण को मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा मण्डावरी की आराजी संख्या 47/1 रकबा 15 बीघा भूमि में बने कुलदेवी के चबूतरे पर प्रार्थीगण को पूजा अर्चना से नहीं रोका जावें।

आदेश आज दिनांक 13.05.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूॅ